# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – शिविरा/मा/खेलकूद–4/35984/वर्ल्ड स्कूल गेम्स/2017–18/ दिनांक 21/11/17

1. समस्त उप निदेशंक (माध्यमिक)
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   माध्यमिक प्रथम /द्वितीय

विषय :– स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (S.G.F.I.) से खिलाड़ियों/शारीरिक शिक्षकों/प्रशिक्षकों/शिक्षकों/अधिकारियों/द्वारा सीधे पत्र व्यवहार न करने बाबत।

प्रसंग :– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र 203 दिनांक 05.07.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (S.G.F.I.) द्वारा आयोज्य विभिन्न राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं,नेशनल ओरियण्टेशन ट्रेनिग प्रोग्राम तथा अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में विभिन्न दायित्वों यथा निर्णायक/टेक्नीकल आफिसर/आब्जर्वर/प्रशिक्षक/मैनेजर आदि का निर्वहन करने के लिए विभाग में कार्यरत शारीरिक शिक्षक/प्रशिक्षक/शिक्षक/अन्य अधिकारी अपना आवेदन पत्र सीधे ही स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया को प्रेषित न करें तथा न ही पत्र व्यवहार करें। इस क्रम में अपना आवेदन पत्र सम्बद्ध जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के माध्यम से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जिससे पात्र आवदेकों के आवेदन पत्र इस कार्यालय द्वारा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया को अग्रेषित /प्रेषित किए जा सकेंगे।

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा किसी भी कार्मिक/खिलाड़ी को राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता/नेशनल ओरियण्टेशन ट्रेनिग प्रोग्राम/अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु किसी भी प्रयोजनार्थ लगाए जाने का पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने पर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात ही सम्बद्ध संस्था प्रधान सम्बद्ध कार्मिक /खिलाड़ी को कार्यमुक्त करें। बगैर निदेशालयी स्वीकृति आदेश व केवल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के पत्र के आधार पर किसी भी कार्मिक /खिलाड़ी को कार्यमुक्त करने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान /कार्यालय प्रधान के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगीं।

**इसी प्रकार बगैर निदेशालयी स्वीकृति आदेश/बगैर संस्था प्रधान द्वारा कार्यमुक्ति आदेश, केवल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के पत्र के आधार पर किसी कार्मिक/खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता /प्रशिक्षण कार्यक्रम/अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में किसी भी रूप में प्रतिनिधित्व किया गया तो सम्बद्ध कार्मिक/अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। किसी भी कार्मिक/अधिकारी के नाम से स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (S.G.F.I.) एवं अन्य किसी संस्था द्वारा सीधे ही कार्मिक/अधिकारी को नियुक्त किया जाना पाया जाता है तो संबंधित कार्मिक/अधिकारी के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत विभागीय कार्यवाही प्रांरम कर दी जाएगी। जिसके लिए कार्मिक /अधिकारी स्वंय उत्तरदायी होगी।**

उक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. निदेशक, प्रांरभिक शिक्षा,निदेशालय राजस्थान, बीकानेर।
02. सेक्रेटरी जनरल,एस.जी.एफ.आई,आगरा (उत्तर प्रदेश)।
03. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल,बीकानेर।
04. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय,जोधपुर
05. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

(जीवन शंकर शर्मा)
उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर